

नगर परिषद, भिवाडी

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.: LSG/BHIWADI/FIRENOC/2024-25/48883

जारी दिनांक: 15-MAY-2025

वैधता दिनांक:

14-MAY-2027

प्रेषित-

आवेदक का नाम श्री/श्रीमती: SHRUTI GARG

आवेदक का पता: TOWER. 3B, FLAT NO. 205, MVL CORAL SOCIETY, BHIWADI

विषय:- अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत

आपके भवन NARAYANA E TECHNO SCHOOL, I5/I6, BHWADI, BHIWADI, BHIWADI, KHAIRTHAL-TIJARA, RAJASTHAN का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह स्थाई (Permanent) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्त:-

1. नेशनल बिल्डिंग कोड भाग-4 में होने वाले संशोधनों की पालना करना अनिवार्य होगा।
2. उक्त एनओसी किसी भी भूमि संबंधित विवाद हेतु मान्य नहीं होगी।
3. किसी भी प्रकार की आतिशबाजी उक्त स्थल के अन्दर न की जायें।
4. समय- समय पर अग्निशमन यंत्र का रख-रखाव किया जायेगा।
5. किसी भी प्रकार की विस्फोटक सामग्री भवन या परिसर में नहीं रखी जावेगी।
6. अग्निशमन यंत्रों के रख-रखाव में कमी एवं औचक निरीक्षण के दौरान अगर किसी भी प्रकार की कमी पाई गई तो अग्निशमन प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जावेगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।
7. किसी भी प्रकार की लूज विद्युत फिटिंग नहीं होनी चाहिए।
8. आपके स्थाई कर्मचारियों को अग्निशमन यंत्रों को चलाने का प्रशिक्षण आपके स्वयं के स्तर पर ही किया जावेगा।
9. किसी भी प्रकार की दुर्घटनाओं के लिए स्वयं संस्थापक जिम्मेदार होगा ना की जिला प्रशासन खैरथल-तिजारा/नगर परिषद भिवाडी प्रशासन होगा।
10. प्रत्येक 6 माह में फायर एक्सपर्ट मॉक ड्रिल करवाना अनिवार्य है जिसकी सूचना नगर परिषद भिवाडी को उपलब्ध करवाया जाना अनिवार्य है एवं मॉक ड्रिल के नगर परिषद भिवाडी के अधिकारी का खर्चा आपके द्वारा वहन किया जावेगा।
11. फायर एनओसी की अवधि समाप्त होने से 15 दिवस पूर्व नवीनीकरण के लिये आवेदन करना होगा अन्यथा 5000 रुपये पैनल्टी के तौर पर देय होंगे।
12. किसी भी प्रकार का नगर परिषद भिवाडी कर बकाया होने पर उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।
13. उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी होने की दिनांक से 2/3/5 वर्ष के लिए ही मान्य होगा
14. भवन के समस्त स्टाफ व सिक्योरिटी गार्ड्स को वर्ष में कम से कम दो बार अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलाना आवश्यक होगा।
15. अग्निशमन उपकरण समयावधि में रीफिल कराना होगा।
16. पानी के टैंक हर समय भरे रखने होंगे व पम्प व पूरा फायर सिस्टम 24 घण्टे कार्यशील स्थिति में रखने को बाध्य होंगे।
17. फायर वाहन आसानी से आ जा सके इसके लिए पर्याप्त खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा।
18. यदि राज्य सरकार या निगम द्वारा भविष्य में कोई नियम/उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबंधक को मान्य होगा।
19. भवन का मुख्य/अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरत नहीं पाए जाने कि स्थिति में यह अभिशंषा पत्र निरस्त माना जाएगा।



अग्निशमन अधिकारी
नगर परिषद, भिवाडी

नगर परिषद, भिवाडी

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

20. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र रूफटॉप रेस्टोरेट के लिए मान्य नहीं हैं। जिस भाग के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है वहां पर रूफटॉप रेस्टोरेट का संचालन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।
21. फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घंटे फायर प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होंगे तथा ए एम सी करवायी जाकर सिस्टम का रख रखाव व संचालन करना अनिवार्य होगा।
22. अग्निशमन प्रमाण पत्र को किसी भी प्रकार का स्वामित्व दस्तावेज नहीं माना जावे एवं प्रतिवर्ष नवीनीकरण करवाया जाना अनिवार्य होगा।



अग्निशमन अधिकारी
नगर परिषद, भिवाडी